

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज)

क्रमांक : २६/२५

दिनांक 19.09.2025

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री अमर चन्द पुत्र, पुत्री, रौद्रलाल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खानाखेड़ी पटवारी गण्डल कोटडापार तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2073-76 के खाता संख्या 57 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति अमरलाल पुत्र रौद्रलाल अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से अमरचन्द अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जाच पटवारी कोटडापार से करवाने पर पटवारी ने अमरलाल के बजाय अमर चन्द करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में अमरलाल के बजाय अमर चन्द करना उचित बताया। अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम खानाखेड़ी के खाता संख्या 57 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति अमरलाल के स्थान पर सम्मानजनक रूप से अमर चन्द दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार भूराजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

SK
उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)